सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1066 राँची, मंगलवार, 27 नवम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

22 नवम्बर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-562/2014-2785 (HRMS)-- श्री राजेश कुमार, झा०प्र०से०, (तृतीय बैच, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कसमार, बोकारो के विरूद्ध उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-1191, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, परन्तु प्रपत्र- 'क' से संबंधित साक्ष्य संलग्न नहीं रहने के कारण विभागीय पत्रांक-65, दिनांक 6 जनवरी, 2015 द्वारा उपायुक्त, बोकारो से साक्ष्य की माँग की गयी।

उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-478, दिनांक 12 मई, 2015 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध साक्ष्य सहित प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, इनके विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित है कि एस०जी०एस०वाई० योजना के तहत् स्वयं सहयता समूहों के प्रशिक्षण हेतु चयनित एन०जी०ओ० के

माध्यम से कसमार प्रखण्ड में स्वयं सहयता समूहों को बिना जिला से अनुमति प्राप्त किये ही अपने स्तर से प्रशिक्षण कराया गया। प्रशिक्षण के उपरान्त कुल 8,69,400/-रू० की माँग जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो से की गयी है। प्रशिक्षण के पूर्व भी इसकी सूचना जिला कार्यालय को नहीं दी गयी। इस प्रकार अपने स्तर से प्रशिक्षण स्वीकृति देना तथा प्रशिक्षणोपरान्त राशि की माँग करना इनकी लापरवाही, सरकारी निदेशों/आदेशों की अवहेलना एवं वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-6785, दिनांक 30 जुलाई, 2015 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है, जिसके अनुपालन में इन्होंने पत्रांक-787, दिनांक 27 अगस्त, 2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि किसी सरकारी आदेश/निर्देश की अवहेलना इनके द्वारा नहीं की गयी है, न ही वित्तीय क्षति हुई है।

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-5769, दिनांक 08 जुलाई, 2016 द्वारा उपायुक्त, बोकरो से मंतव्य की माँग की गयी तथा पत्रांक-10346, दिनांक 5 अक्टूबर, 2017 एवं पत्रांक-4399, दिनांक 14 जून, 2018 द्वारा स्मारित किया गया ।

उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-2765/गो०, दिनांक 27 अगस्त, 2018 द्वारा इनके स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि श्री कुमार द्वारा कोई अन्यथा मंशा से प्रशिक्षण नहीं कराया गया था। सरकारी राशि के गबन का मामला नहीं बनता है, अतः जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो से प्रशिक्षण की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही अपने स्तर से प्रशिक्षण कराये जाने के संबंध में भविष्य में पुनरावृति नहीं करने की चेतावनी देते हुए आरोप से मुक्त किया जा सकता है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, बोकारो के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा स्वयंसेवी संस्था सर्वांगिन विकास समिति को प्रशिक्षण हेतु कोई भुगतान नहीं किया गया, किन्तु जिला से प्रशिक्षण की स्वीकृति प्राप्त किये बिना संबंधित संस्था के साथ एकरारनामा किया गया।

अतः समीक्षोपरांत, श्री राजेश कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कसमार, बोकारो के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(i)के तहत् “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAJESH KUMAR 110021163131	श्री राजेश कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कसमार, बोकारो के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 (i) के तहत् "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1066 -- 50